उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग---3]

संख्या सा0-3-905 / दस---301-90

लखनऊ, 16 जून, 1990

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :---राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0-3-2405/ दस---301-89, दिनांक 28 अक्टूबर, 1989/1 नवम्बर, 1989 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 1 जुलाई, 1989 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी, 1990 से महंगाई राहत की दरें निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :---

पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह	महंगाई राहत की मासिक दर
(1) रु01750 से अनधिक	.. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 38 प्रतिशत ।
(2) रु01750 से अधिक किन्तु 3000 रु0 से अनधिक	.. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 28 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 665 रु0 ।
(3) रु0 3000 से अधिक	.. पेंशन का 25 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 840 रु0 ।

2---महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपए के गुणांक में गणनित होगी उसे अगले रुपए में राउण्ड कर दिया जायगा ।

3---1 जनवरी, 1990 एवं उसके बाद अनुमन्य महंगाई राहत, जैसी इन आदेशों के अन्तर्गत देय है, का एक रेडी-रेकनर संलग्न किया जा रहा है । यदि रेडी-रेकनर में दर्शाये गये अंकों में कोई त्रुटि पाई जाय तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके भुगतान कर दिया जायें तथा शासन की जानकारी में भी लाया जाय ।

4---यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे । उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

5---यह आदेश शिक्षा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे ।

6---शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252 / दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए पेंशनधारक के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है । अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान संलग्न रेडी-रेकनर के आधार पर कर दिया जायेगा ।

7---महंगाई राहत स्वीकार करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।

इन्दु कुमार पाण्डे,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

शासन के समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, जिला कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण ।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa-3-905 / X—301-90

Dated : Lucknow, June 16, 1990

OFFICE MEMORANDUM

***Subject*—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.**

THE undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa-3-2405/X—301-89, dated Oct. 28 1989 / Nov. 1, 1989 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of dearness relief with effect from July 1, 1989 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 608 at the following rates with effect from January 1, 1990 :

Pension/Family Pension per month	*Rate of Dearness Relief per month*
(1) Not exceeding Rs. 1,750	38 per cent of pension/family pension
(2) Exceeding Rs. 1,750 but not exceeding Rs. 3,000	28 per cent of pension/family pension subject to a minimum of Rs. 665.
(3) Exceeding Rs. 3,000	25 per cent of pension/family pension subject to a minimum of Rs. 840.